झारखंड सरकार ने पेंशन योजना के लिये आयु घटाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, झारखंड कैबिनेट ने अपनी[वृद्धावस्था पेंशन योजना](वृद्धावस्था पेंशन योजना) **में 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं,** [आदिवासियों](आदिवासियों) **और दलितों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।**

- **पहले 60 वर्ष से ऊपर वालों को योजना का लाभ मिलता था**, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 1,000 रुपए प्रदान किये जाते हैं।

मुख्य बिंदु:

- यह पहल **मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना** के अंतर्गत आती है। इस निर्णय से करीब 18 लाख लोगों को लाभ होगा।
  - कुल **35.68 लाख लोगों को योजना का लाभ मिल** चुका है।
- **कैबिनेट ने गर्भवती महिलाओं को 'मातृ किट'** वितरण समेत 25 अन्य प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी।
  - लगभग 1,500 रुपए की कीमत वाली इस किट में एक**मच्छरदानी, एक सूती साड़ी, एक सूती तौलिया और एक टूथपेस्ट सहित 14 सामग्रियाँ** होंगी। इससे 6 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
- कैबिनेट ने कई अन्य स्वीकृतियाँ भी दीं, जैसे:
  - **राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पद पर योगेन्द्र प्रसाद की तीन वर्षों** के लिये नियुक्ति।
- गुमला ज़िले के वृंदा नायक टोली गाँव की रहने वाली **विनीता ओरांव को रोज़गार और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार।**
  - ओरांव ने 5 मई, 2020 को एक हमले के दौरान **प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI)** के एक एरिया कमांडर को मार डाला।
- **146 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करना।**

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के **कमज़ोर बुज़ुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।**
- **1,000 रुपए मासिक पेंशन** के प्रावधान के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये दूसरों पर निर्भरता को कम करना है।
- यह योजना **बुज़ुर्ग नागरिकों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देती है।**

पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI)

- यह **वर्ष 2007 में झारखंड में गठित एक उग्रवादी माओवादी संगठन है।**
- **पहले इसे झारखंड लिबरेशन टाइगर्स (JLT) के नाम से जाना जाता था**, जिसकी स्थापना वर्ष 2003 में झारखंड के खूंटी ज़िले के**निवासी दिनेश गोप** ने की थी।

झारखण्ड राज्य पिछड़ा आयोग

- यह एक स्थायी निकाय है जिसका गठन **झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2002** के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-government-brings-down-age-for-pension-scheme